

FORM NO.111

फर्द अहकाम





(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

कालू बनाम भानाराम वगै०

किस्म मुकदमा:- इजराय

मुकदमा नम्बर:- 20/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुये
12.04.2022	<p>वकील डिक्रीदार श्री सुदेश सामोता एड० ने उपस्थित होकर इजराय प्रार्थना पत्र पेश किया। इजराय दर्ज रजिस्टर की जावें। न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.10.2021 की पालना में राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु (यदि प्रकरण में किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश आदि नहीं हो तो) तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर जारी की जावें। पत्रावली वास्ते प्राप्त होने पालना रिपोर्ट दिनांक 09.05.2022 को पेश हो।</p> <p> दिलीप सिंह उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर</p>	<p>34/2022 12-4-22</p>
21.03.2023	<p>पत्रावली तारीख पेशी से गिरकर आज पेश हुई। डिक्रीदार उपस्थित। प्रकरण में राज पैरोकार नायब तहसीलदार ने अवगत कराया है कि न्यायालय द्वारा पारित डिक्री व निर्णय की पालना जरिये नामान्तकरण संख्या 735 दिनांक 20.06.2022 के द्वारा राजस्व रिकार्ड में की जा चुकी है। प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः प्रकरण को इसी स्तर पर फ़ैसल किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।</p> <p> 21/03/23 (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)</p>	<p>19 6/11/2022 हं 735 दि 20/06/22 2 डी.ए.ए.ए. डिक्री पुकारे</p> <p>  दिलीप सिंह</p>